सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 12, शुक्रवार, *शाके* 1947- जनवरी 02, 2026 Pausa 12, Friday, Saka 1947- January 02, 2026	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

आदेश

जयपुर, जनवरी 01, 2026

संख्या F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./2023/25 :-भारत निर्वाचन आयोग का निम्नांकित आदेश संख्या 76/राज-वि.स./80/2023/सी.ई.एम.एस.-1, 30 दिसम्बर, 2025 सर्व साधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित किया जाता है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001

सं. 76/राज-वि.स./80/2023/सी.ई.एम.एस.-1	**दिनांक**:	**30 दिसम्बर, 2025** **9 पौष, 1947 (शक)**

<u>आदेश</u>

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना सं0 464/राज0-वि0स0/2023 के अनुसरण में **राजस्थान** राज्य के **80-राजाखेड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान राज्य के **80-राजाखेड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धौलपुर** की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से

दिनांक **16.01.2024** पत्र सं. **F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433** को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री विनय सिकरवार** जो **80-राजाखेड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री विनय सिकरवार** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस **सं.76/राज-वि.स./80 /2023/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक 28 फरवरी, 2024** को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री विनय सिकरवार** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर **जिला निर्वाचन अधिकारी, धौलपुर** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धौलपुर** से दिनांक 22.03.2024 के पत्र सं0- निर्वा/लोसआचु/ईवीएम/2024/839 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री विनय सिकरवार** की बहन (**कुमारी माधुरी**) को दिनांक 12.03.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धौलपुर** ने पत्र सं0- प.37/निर्वा/लेखा/2025/120 दिनांक 13.02.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री विनय सिकरवार** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री विनय सिकरवार** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन अयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री विनय सिकरवार** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, **अब**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के **80-राजाखेड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री विनय सिकरवार, निवासी-बोथपुरा**, **तह0 मनियां**, **जिला धौलपुर**, **राजस्थान,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए

संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

राकेश कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

सेवा में,
श्री विनय सिकरवार,
बोथपुरा, तह0 मनियां,
जिला धौलपुर, राजस्थान ।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001 **Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001**

No.76/RJ-LA/80/2023/CEMS-I

Dated: 30th December, 2025
9 Pausha, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **80-Rajakhera** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/RJ-LA/2023, dated 30th October, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **80-Rajakhera** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **02nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted **DEO, Dholpur** report **11.01.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 **Sh. Vinay Sikarvar**, a contesting candidate from **80-Rajakhera** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge the account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Dholpur** a Show-Cause Notice No.**76/RJ-LA/80/2023/CEMS-I**, dated **28th February, 2024** was issued

under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vinay Sikarvar**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Vinay Sikarvar**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Dholpur** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Dholpur** vide his letter no. Ele./LSGE/EVM/2024/839 dated 22.03.2024 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Vinay Sikarvar's Sister (name Kumari Madhuri)**, on **12.03.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Dholpur** in his Supplementary Report, vide its letter no. 37/Elec./Account/2025/120 dated 13.02.2025 has reported that **Sh.Vinay Sikarvar** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh.Vinay Sikarvar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Vinay Sikarvar**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the Peoples Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Vinay Sikarvar**, residence of **Bothpura, Tehsil- Maniya, District Dholpur, Rajasthan,** a contesting candidate from **80-Rajakhera Assembly Constituency** of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

RAKESH KUMAR,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

To
Sh.Vinay Sikarvar,
Bothpura, Tehsil-Maniya,
District Dholpur, Rajasthan.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।